Rajasthan State Road Development & Construction Corporation Ltd.
(Formerly RSBCC Ltd.)
(A GOVERNMENT OF RAJASTHAN UNDERTAKING)
CIN No. U45203RJ1979SGC001853
Regd. Office : Setu Bhawan, Opposite Jhalana Doongari, Jaipur-Agra Bypass, Jaipur-302004
LC

B-19(40)LC/RTPP/21/17936 **Date:-27-12-2021**

<u>अतिआवश्यक</u>

परियोजना निदेशक,
आर.एस.आर.डी.सी.लि.,
इकाईः— विद्युत—प्रथम, जयपुर।

विषयः— प्रथम अपील अधिकारी द्वारा आर.टी.पी.पी. नियम 2013 के अन्तर्गत दायर प्रथम अपील 40/2021, मैसर्स श्री मंगलम बिल्डकोम (1) प्रा.लि. बनाम परियोजना निदेशक, इकाई— धौलपुर, आर.एस.आर.डी.सी. में पारित निर्णय दिनांक 27.12.2021 आर.एस.आर.डी.सी.लि. के पोर्टल पर अपलोड करने के क्रम में।

महोदय,

विषयान्तर्गत दर्शित प्रथम अपील में पारित निर्णय दिनांक 27.12.2021 की प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न कर अनुरोध है कि निर्णय को आर.एस.आर.डी.सी.लि. के पोर्टल पर अविलम्ब अपलोड करते हुये अपलोड की सूचना विधि अनुभाग को देने का श्रम करें।

भवदीय,

संलग्नः— उपरोक्तानुसार।

(सुधीर कुमार दीक्षित)
विधि सलाहकार

Phone: EPBX-2711386-90 E-Mail:- gm@rsrdc.com Fax:- 0141-2711178 Website:- RSRDC.Com

कार्यालय प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, आर.एस.आर.डी.सी. लि.

अपील संख्या 40/2021

श्री मगंलम बिल्डकोम (1) प्रा. लि., अपीलार्थी

बनाम

परियोजना निदेशक यूनिट – धौलपुर , आर.एस.आर.डी.सी. प्रत्यार्थी

प्रथम अपीलीय अधिकारी – संजय सक्सेना (महाप्रबन्धक)

उपस्थित –

1. अपीलार्थी की ओर से – कम्पनी के प्रबधक श्री हसमुख जी पटेल
2. प्रत्यार्थी की ओर से – स्वयं, श्री विजय सिंह
   परियोजना निदेशक यूनिट – धौलपुर।

निर्णय

दिनांक :–

यह कि वर्तमान अपील प्रथम अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अन्तर्गत धारा– 38 राजस्थान लोक उपापन अधिनियम 2012 सपठित राजस्थान लोक उपापन में पारदिर्शिता नियम, 2013 (आर. टी. पी. पी. अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013) अपीलान्ट श्री मगंलम बिल्डकोम (1) प्रा. लि. के प्रबन्धक श्री हंसमुख जी पटेल द्वारा दिनांक 21.12.2021 को दायर की गई है।

अपील के संक्षेप संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आर.एस.आर.डी.सी. द्वारा चम्बल नदी (सोने का गुरजा सेवक– पाली) पर उच्च तलीय पुल निर्माण कार्य हेतु निविदा संख्या 195/2021–2021 दिनांक 26.10.2021 को ई– प्रोक्यूरमेन्ट प्रक्रिया हेतु ऑनलाईन निविदाएं आंमत्रित की गई, जिसमें निविदा प्रपत्र अपलोड एवं जमा कराने की अवधि 01.11.2021 से 15.12.2021 सायं 6.00 बजे तक निर्धारित थी।

यह है कि आर टी पी पी एक्ट 2012 की धारा 22 में प्रदत्त प्रावधान की अनुपालना में निविदा में वर्णित बोली पूर्व स्पष्टीकरण के लिए निर्धारित तिथि 10.11.2021 को निविदा पूर्व बैठक आयोजित की गई, तथा वांछित स्पष्टीकरण के जवाब तदानुसार जारी कर दिये गये।

दिनांक 15.12.2021 सायं काल 6.00 बजे तक कुल चार निविदाये ऑनलाईन प्राप्त हुई। निविदा में वर्णित नियत तिथि 16.12.2021 को तकनीकी मुल्यांकन समिति की बैठक आयोजित कर सभी प्राप्त निविदाओं एवं संलग्न दस्तावेजों का परीक्षण किया गया। तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा दिंनाक 16.12.2021 को की गई मूल्यांकन रिपोर्ट को दिनांक 18.12.2021 को पोर्टल पर अपलोड किया गया। तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा अपीलान्ट की निविदा को इस आधार पर अस्वीकार किया गया कि निविदा के साथ संलग्न प्रपत्र के एनेक्सर–1 के अनुसार निविदाकर्ता को कम्पनी की क्रेडिट फेसलिटी निविदा मूल्य

की 20 प्रतिशत मूल्य का बैक प्रमाण पत्र अपलोड करना था, जबकि निविदाकर्ता (अपीलान्ट) द्वारा उक्त प्रमाण पत्र मात्र 10 प्रतिशत मूल्य का ही अपलोड किया गया था।
यह है कि तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा दिनांक 16.12.2021 तकनीकी मूल्यांकन रिपोर्ट को दिनांक 18.12.2021 को पोर्टल पर अपलोड किया गया था, के विरूद्व उपरोक्त अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की गई है।

1. यह है कि अपीलान्ट का कथन है कि जारी निविदा दिंनाक 26.10.2021 में संलग्न आर एफ पी के एनेक्सर–1 के क्रम संख्या 5 में अंकित क्लॉज संख्या 2.1.11 वर्णित था जो कि जोईन्ट वेन्चर से सम्बन्धित है।

2. यह है कि अपीलान्ट का कथन है कि उसके द्वारा निविदा दस्तावेज में 2020–21 की बैलेन्स शीट अपलोड की है, उसका समिति द्वारा अवलोकन नही किया है। कम्पनी की बैलेन्सशीट निविदा मूल्य की शत् प्रतिशत क्रेडिड एसेटस को दर्शाती है।

3. यह है दिंनाक 18.12.2021 को, अपीलान्ट द्वारा 20 प्रतिशत से अधिक के क्रेडिड का बैक प्रमाण पत्र ऑफलाईन भी प्रदत्त किया गया था। जिस पर परियोजना निदेशक यूनिट धौलपुर द्वारा विचार नहीं किया गया।

4. यह है कि अपीलान्ट द्वारा निविदा खोलने की दिनांक के बाद, 20 प्रतिशत से अधिक के क्रेडिड फेसिलिटी के बैक प्रमाण पत्र को स्वीकार कर निविदा प्रक्रिया मे शामिल करने का अनुरोध किया हैं।

दिंनाक 24.12.2021 को प्रत्यार्थी परियोजना निदेशक आर एस आर डी सी यूनिट– धौलपुर द्वारा अपील का जवाब प्रस्तुत कर अपना पक्ष निम्न प्रकार प्रस्तुत किया गया।

1. यह है कि निविदा के क्रम में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता को स्पष्ट करने के लिए निविदा पूर्व बैठक आयोजित करने की सूचना निविदा में प्रदत्त की गई थी निविदा में उल्लेखित निर्धारित तिथि 10.11.2021 को पूर्व निविदा बैठक आयोजित की गई, जिसमें निविदा से सम्बन्धित वांछित सभी टर्म कन्डीशन पर प्राप्त स्पष्टीकरण का मौखिक एंव लिखित रूप से समाधान स्पष्ट कर दिया गया था।
2. यह है कि निर्धारित तिथि तक कुल चार निविदाकर्ताओं द्वारा निविदा प्रपत्र अपलोड किये गये थे उनमें से मात्र अपीलान्ट द्वारा ही एनेक्सर–1 के बिन्दू संख्या 5 को समझने में गलती की है, जबकि शेष अन्य तीनों निविदाकर्ताओ ने स्वयं की क्रेडिट फेसलिटी का बैक प्रमाण पत्र निविदा मूल्य का 20 प्रतिशत राशि रूपयें 1480 लाख का प्रदत्त किया है। मात्र अपीलान्ट द्वारा ही स्वयं की क्रेडिट का 10 प्रतिशत बैक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया हैं।
3. यह है कि तकनीकी मूल्याकन समिति को आर एफ पी के क्लॉज 2.10.1 के क्रम में मात्र उन्ही दस्तावेजों का मूल्याकन करने का अधिकार है, जो निविदाकर्ताओं द्वारा ऑनलाईन अपलोड से प्राप्त किये जाते है।
4. यह है कि निविदाकर्ताओ को निविदा में वर्णित सभी दस्तावेज आर एफ पी के क्लॉज संख्या 2.11.1 के अनुसार अपलोड करने होते है। एनेक्सर–1 भी आर एफ

पी का एक भाग है, जिसमें उल्लेखित समस्त सूचना/दस्तावेज निविदाकर्ता को ऑनलाईन निविदा हेतु निर्धारित प्रकिया पूर्ण पालना कर प्रस्तुत करने होते है।

5. यह है कि आर एफ पी के एनेक्सर–1 के क्रम संख्या 5 में उल्लेखित 2.1.11 सहवन से 2.11.1 के स्थान पर प्रिट हो गया है। जबकि बिन्दू संख्या 5 मे उल्लेखित वांछित बैक का क्रेडिट प्रमाण पत्र निविदा मूल्य के 20 प्रतिशत का ही उल्लेख है जबकि अपीलान्ट द्वारा स्वविवेक से 10 प्रतिशत क्रेडिट का बैंक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया।
6. यह है कि अपीलान्ट द्वारा दिंनाक 18.12.2021 को, परियोजना निदेशक को प्रस्तुत किया गया 20 प्रतिशत से अधिक के क्रेडिट का बैंक प्रमाण पत्र दिंनाक 16.12.2021 (तकनीकी निविदा खोलने की अन्तिम तिथि) के बाद प्रस्तुत किया है, जिसे आर टी पी पी के नियम 60 एवं आर एफ पी के क्लॉज संख्या 2.10.1 के अनुसार किसी भी दस्तावेज को स्वीकार करने का अधिकार तकनीकी मूल्यांकन समिति को प्राप्त नही है।
7. यह भी अनुरोध किया गया कि वित्तीय निविदा भी दिनांक 21.12.2021 को खोली जा चुकिं है अतः प्रत्यार्थी द्वारा अपील को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

निर्णय

उभयपक्षकारान् को दिनांक 24.12.2021 को विस्तार से सुना गया। अपीलान्ट द्वारा दायर अपील एवं संलग्न दस्तावेजाज तथा प्रत्यार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील के जवाब का अनुशीलन, अवलोकन किया गया। निविदा के साथ अपलोड प्रस्ताव अनुरोध (आर एफ पी) के क्लोज 2.10.1, 2.11.1 एवं आर.टी.पी.पी. एक्ट एवं नियम मे प्रदत प्रावधान अनुसार तकनीकी मूल्यांकन समिति को निविदा अपलोड की अन्तिम तिथि तक निविदाकर्ता द्वारा अपलोडेड निविदा प्रपत्र का परीक्षण कर तकनिकी निविदा को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का निर्णय लेना होता है। अपीलान्ट द्वारा निविदा के प्रस्ताव (आर.एफ.पी.) के एनेक्सर– 1 बिन्दू संख्या 5 मे उल्लेखित प्रदत प्रावधान के अनुसार 20 प्रतिशत निविदा मूल्य का केडिट फेसेलिटी का बैंक प्रमाण पत्र अपलोड करना था जबकि अपीलान्ट कम्पनी द्वारा मात्र 10 प्रतिशत निविदा मूल्य का बैंक प्रमाण पत्र अपलोड किया गया इसी कमी के आधार पर तकनिकी मूल्यांकन समिति द्वारा अपीलान्ट की तकनिकी निविदा को अस्वीकार करने में प्रकटतया किसी भी प्रकार की त्रुटि एवं लापरवाही नही बरती गयी हैं, इस लिए अपीलान्ट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य नही है।

अतः उपरोक्तानुसार अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27.12.2021 को जारी किया गया ।

प्रथम अपील प्राधिकारी ,

27/12/21

(संजय सक्सेना)

आर.एस.आर.डी.सी. लि. जयपुर।